

चेतावनी: चुनाव प्रचार करना वर्जित है!

उल्लंघन करने पर जुर्माने लगाए जा सकते हैं और/या कारावास की सजा दी जा सकती है।

कहाँ:

- मतदान करने के लिए कतार में खड़े किसी व्यक्ति के आसपास या मतदान स्थल के प्रवेश द्वार, कर्बसाइड वोटिंग या ड्रॉप बॉक्स के 100 फीट के भीतर निम्नलिखित गतिविधियाँ करना वर्जित हैं।

कौन सी गतिविधियाँ वर्जित हैं:

- किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए न कहें।
- किसी उम्मीदवार का नाम, तस्वीर या लोगो प्रदर्शित न करें।
- किसी मतपत्र ड्रॉप बॉक्स तक पहुंच को अवरुद्ध न करें या आसपास कूड़ा न फैलाएँ
- किसी मतदान स्थल, मतदान केंद्र या मतपत्र ड्रॉप बॉक्स के पास किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र के पक्ष में या उसके खिलाफ कोई भी सामग्री या श्रव्य जानकारी प्रदान न करें।
- किसी पहल, जनमत संग्रह, रीकॉल या उम्मीदवार के नामांकन सहित किसी भी याचिका को प्रसारित न करें।
- किसी भी उम्मीदवार का नाम, छवि, लोगो, और/या समर्थन या किसी भी उम्मीदवार या मतपत्र विधेयक का समर्थन या विरोध करने वाले किसी भी कपड़े (टोपी, शर्ट, संकेत, बटन, स्टिकर) को वितरित, प्रदर्शित या पहनें नहीं।
- किसी भी मतदाता की मतदान करने की पात्रता के बारे में जानकारी प्रदर्शित न करें या उसके बारे में मतदाता से बात न करें।

ऊपर संक्षेप में दिए गये चुनाव प्रचार निषेध कैलिफोर्निया चुनाव संहिता के खंड 18 के अध्याय 4 के लेख 7 में दिए गए हैं।